रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27022025-261328
CG-DL-E-27022025-261328

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 984] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 27, 2025/फाल्गुन 8, 1946
No. 984] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 27, 2025/PHALGUNA 8, 1946

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2025

का.आ. 992(अ).—केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा किया जाना अपेक्षित है कि ऐल्युमिना और एल्युमिनियम के विनिर्माण तथा बाक्साइट के उत्खनन में लगे उद्योगों की सेवाओं को, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की पहली अनुसूची की क्रमशः मद 30 और मद 31, के अधीन आती हैं, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक लोक उपयोगी सेवा घोषित की जाए;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त उद्योग को भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 3096(अ), तारीख 2 अगस्त, 2024 द्वारा 4 अगस्त, 2024 से छह मास तक की अवधि के लिए उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवाएं घोषित किया है;

और, उक्त घोषणा को एक बार में विस्तारित नहीं जा सकता था;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में उक्त उद्योग की लोक उपयोगी सेवा के रूप में उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए छह मास की अवधि के लिए घोषित किया जाना अपेक्षित है;

अब, अतः, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ढ) के उप खंड (vi) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित ऐसा करना अपेक्षित है, ऐल्युमिना और एल्युमिनियम के विनिर्माण तथा बाक्साइट के उत्खनन में लगे उद्योग की सेवाओं को राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास की अवधि के लिए उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक लोक उपयोगी सेवा के रूप में घोषित करती है।

[फा. सं. एस.-11017/03/2024-आईआर(पीएल)]

आलोक मिश्रा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th February, 2025

S.O. 992(E).—WHEREAS the Central Government is satisfied that public interest so requires that the services of industries engaged in Manufacturing of Alumina and Aluminium and Mining of Bauxite, which are covered under items 30 and 31, respectively, of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), to be a public utility service for the purposes of the said Act;

AND WHEREAS, the Central Government has declared the said industry to be a public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months from 4th August, 2024, vide notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment, number S.O. 3096(E), dated the 2nd August, 2024;

AND WHEREAS, the said declaration could not be extended at any one time;

AND WHEREAS, the Central Government is of the opinion that public interest requires the said industry is declared as public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-clause(vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government, being satisfied that public interest so requires, hereby declares the services of the industry engaged in Manufacturing of Alumina and Aluminium and Mining of Bauxite to be a public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. S-11017/03/2024 -IR (PL)]

ALOK MISHRA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2025.02.27 22:53:48 +05'30'